कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक– 496 /11–सी–FP/UP/Road/141411/2021, लखनऊ, दिनांकः अगस्त 10 ,2022

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

विषयः– जनपद–जौनपुर के अंतर्गत एन0एच0 डिविजन–1, पीडब्लयूडी, वाराणसी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–135ए के चैनेज सं0–34.900 (भदोही) से चैनेज सं0–73.134 (जौनपुर) तक चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु प्रस्तावित 65.612 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 5280 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भः– भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यू0पी0/06/47/2022/एफ0सी0/211, दिनांक 07.07.2022 एवं वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी का पत्रांक–279/29–1, दिनांक 04.08.2022

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी के उपरोक्त पत्रांक–279/29–1, दिनांक 04.08.2022 के द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित वांछित बिन्दुवार सूचना एवं उससे अभिलेख दो प्रतियों में इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या– 496 /11–सी–FP/UP/Road/141411/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी।
2. प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, जौनपुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड नं0–1, लो0नि0वि0, वाराणसी।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

O/C

Acy-949